

(3)

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K.Gupta, J.M.F.C., Gohad, DIST- Bhind (M.P)

Case No. 163/17 Complaint or report made on

Name and address of the Complainant. प्राथमिक नजिस्ट प्रमाण दर्ज
मैसर्स मिण्ड वाटर

Name, parentage, caste and address of accused

① गन्धर्व 510 श्रीलक्ष्मी रोड 40 वर R10 वरिष्ठ 15
गोहाड

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

अपने दिनांक 23.8 को समय लगभग 18.10 बजे, थाना गोहाड अंतर्गत
स्थान वारिष्ठ 13 पर सट्टा पर्चियों पर अंक, संख्या,
संकेत, चिन्ह या चित्रों के प्रदर्शन से रुपये पैसे का दावा लगाकर जुआं खेलाया। ऐसा करके तुमने वह
अपराध कारित किया जो सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तहत दण्डनीय अपराध है
और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

A.K.Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist.Bhind (M.P)

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है।

गन्धर्व सिंह

A.K.Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist.Bhind (M.P)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the
value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 31/8/17 को घोषित)


01. आरोपी/गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी/गण

को सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं अर्थदण्ड1000/- रुपये (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त/गण को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

03. अभियुक्तगण से जप्तशुदा राशि 525/- रुपये अपील अवधि पश्चात् राजसात् की जाये तथा जप्तशुदा मूल्यहीन सम्पत्ति 525/- रुपये को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सम्पत्तियों के संबंध में अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित


A.R. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gonad Dist. Bhind (M.P.)